दिनांक–01.06.2026 को माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में विभाग द्वारा मुख्य अभियंता (उत्तर) के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता (उत्तर) के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सभी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है:–

➢ भवन निर्माण विभाग

- किशनगंज जिलान्तर्गत कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज का आवास निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संवेदक को एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करने हेतु दो बार पत्र दिया गया है। संवेदक द्वारा एक सप्ताह में कार्य प्रारंभ करने की सूचना दी गयी है।

  निदेशित किया गया कि निविदा की शर्त्तो के अनुसार संवेदक से कार्य आवंटित होने के 21 दिनों के अन्दर एकरारनामा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय एवं तदनारूप कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाय।

  अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

- वैशाली जिलान्तर्गत (राघोपुर) के अंचल रूस्तमपुर में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य के संबंध में माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का कारण पूछा गया, जिसके उत्तर में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा बताया गया कि योजना स्थल पर जल–जमाव एवं आवंटन के अभाव के कारण योजना पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है। आवंटन मिलने पर कार्य को त्वरित गति से 30 जून, 2026 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

  कार्यपालक अभियंता को यह निदेश दिया गया कि योजना पूर्ण होने के साथ–साथ निरीक्षण भवन के संचालन हेतु दैनिक गतिविधियों तथा हाउसकिपिंग इत्यादि का प्लान तैयार कर लिया जाय।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर (वैशाली)।

➢ विधि विभाग

- वैशाली जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर (वैशाली) के परिसर में विभिन्न कोर्ट भवनों में इंस्टालेशन, सप्लाई तथा अग्निशमन प्रणाली का परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा बताया गया कि उक्त योजना की निविदा 4 बार रद्द की जा चुकी है तथा पाँचवी बार निविदा के पश्चात तकनीकी बीड मूल्यांकन की प्रक्रिया में हैं।

  निदेशित किया गया कि निविदा निष्पादन की प्रक्रिया की समय–सीमा को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाय। इसके लिए सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित), अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा करके एक Timeline का प्रस्ताव सचिव, भवन निर्माण विभाग को समर्पित करें। सचिव स्तर से एक कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा।

  अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)

- विधि विभाग अन्तर्गत विभिन्न कोर्ट भवनों यथा पोस्को कोर्ट, एक्साईज कोर्ट इत्यादि के निर्माण हेतु अपर्याप्त स्थल, स्थल अनुपलब्धता, न्यायमंडल कार्यालय से दूरी इत्यादि अवयवों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भवनों के स्थान पर एक ही भवन के विभिन्न तल्लों में बनाने हेतु संभाव्यता का प्रस्ताव सभी कार्यपालक अभियंताओं को डी0एल0एम0सी0 की बैठक में प्रशासी विभाग के सामने रखने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

- निदेशित किया गया कि विधि विभाग के केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत क्रियान्वित ऐसी योजनाएँ जिनकी पूर्ण होने की अवधी बीत चुकी है, जो पूर्ण होने के चरण में है परन्तु केवल आवंटन के अभाव के कारण कार्य धीमा/बंद है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए पहले आवंटन प्रदान कर कार्य पूर्ण कराया जाय।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/बजट प्रशाखा।

- कटिहार जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, मनिहारी के परिसर में ए0 टाईप (जी0+3), बी0 टाईप (जी0+3) एवं सी0 टाईप (जी0+3) आवास का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार द्वारा बताया गया कि योजना हेतु चिन्हित स्थल पर 543 पेड़ स्थित है, जिनके पातन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। परन्तु इसकें भूस्वामी को दी जाने वाली राशि का भुगतान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के स्तर पर लंबित होने के कारण उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने दिया जा रहा है।

  निदेशित किया गया कि जमीन हस्तांतरण होने के पश्चात कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारंभ करने हेतु अधिकृत है तथा उन्हें इस संबंध में जिला पदाधिकारी से बात कर कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ/

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार।

- मधेपुरा जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा के पुराने न्यायालय परिसर में कर्मचारियों हेतु सी0 टाईप (जी0+3) आवास का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कार्य फिनिशिंग स्तर पर है, परन्तु संवेदक द्वारा अक्टूबर, 2025 से कार्य बंद कर दिया गया है। संवेदक को निर्माण कार्य में पायी गयी कुछ त्रुटियों का निराकर करने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा को संवेदक से बात करके उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु निदेश दिया गया तथा कार्य पूर्ण ना करने पर संवेदक को रिसाईन कर कालीकृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा।

- पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अनुमंडलीय न्यायालय, वायसी में 10 कोर्ट भवन (जी0+5), हाजत भवन (जी0+1) एवं एमिनिटी भवन (जी0+4) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि योजना प्रारंभ होने में विलम्ब के कारण इसके समय–सीमा में विस्तार करने की आवश्यकता है।

  कार्यपालक अभियंता को योजना हेतु जमीन मिलने की तिथि सहित इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए मुख्य अभियंता (उत्तर) को प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

- निदेशित किया गया कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होने की स्थिति में पी0एम0आई0एस0 पर अभियुक्ति के कॉलम में विलम्ब का स्पष्ट कारण अवश्य अंकित किया जाय तथा योजनाओं के प्रगति को प्रत्येक 15 (पन्द्रह) दिनों (महीने की 01 एवं 15 तारीख को) में अद्यतन किया जाय। अद्यतन से पूर्व सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) योजनाओं की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन प्रमंडल।

- निदेशित किया गया कि सभी कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल में योजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक करें तथा उस बैठक की कार्यवाही तैयार कर सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति को पी0एम0आई0एस0 पर अद्यतन करायें। निदेशक (अनुश्रवण) को इस संबंध में सभी कार्यपालक अभियंता को पत्र देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन प्रमंडल।

- उन सभी योजनाओं को प्राथमिकता देने का निदेश दिया गया, जिसके क्रियान्वयन के प्रारंभ में या वर्तमान में किसी प्रकार की कोई समस्या आयी हो तथा जिसका ससमय निराकरण ना कराया गया हो। उन योजनाओं के पूर्ण होने में विलंब होना संभावित है। ऐसी सभी योजनाओं को चिन्हित कर उनका नियमित अनुश्रवण किया जाए तथा उन पर विशेष ध्यान देते हुए जल्द–से–जल्द पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय।

अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन अंचल/
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन प्रमंडल।

- बेगूसराय जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय में नये रेकर्ड रूम (मॉडल प्लान) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2021 में ही प्रदान की गयी है, परन्तु इसके लिए दी गयी दूसरी जमीन भी पर्याप्त नहीं है।

उक्त योजना को रद्द करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय।

➢ ग्रामीण विकास विभाग

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय एवं प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की योजना की राशि लगभग रू0 6000 करोड़ हैं, परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट का उपलब्ध मात्र रू0 100 करोड़ है।

प्रशासी विभाग से राशि की मांग करने तथा राशि की उपलब्धता ना होने तक कोई नई निविदा नहीं करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल/बजट प्रशाखा।

- बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय सदर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना के पुनरीक्षित कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन ए0, बी0, सी0 तथा बी0डी0ओ0 आवास का कार्य पूर्ण हो चुका है। डी0 टाईप आवास का

स्थल वर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जिसका स्थल प्लान तैयार कर अनुमोदन हेतु मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है।

उक्त योजना के संबंध में निदेशित किया गया कि, इसे जल्द–से–जल्द पूर्ण कराया जाय।

अनुपालन–मुख्य वास्तुविद् / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय।

- निदेशित किया गया कि जिन योजनाओं में स्थल संबंधी समस्याएँ जैसे स्थल अनुपलब्ध, अपर्याप्त या अतिक्रमण इत्यादि हो उनके निराकरण हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को पत्र दिया जाय।

अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

- बेगूसराय जिलान्तर्गत 100 आसन वाले राजकीय कल्याण बालक छात्रावास, जी0डी0 कॉलेज के परिसर में निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि एकल निविदा होने के कारण योजना की पुर्ननिविदा की गयी है तथा वर्तमान में तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2024 में प्रदान की गयी थी।

उक्त योजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द–से–जल्द पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (उत्तर) / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय।

- निदेशित किया गया कि 50 करोड़ से अधिक राशि वाली योजनाएँ जिनका निर्णय निविदा समिति द्वारा किया जाता है, उनके संवेदकों के चयन हेतु योग्यता की शर्तें स्पष्टता से निर्धारित की जाय। एस0बी0डी0 के अनुसार ऐसी योजनाओं के निविदा में भाग लेने हेतु संवेदक का पंजीकरण 10 वर्ष पूर्व का होना अनिवार्य है। परन्तु इसे प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का स्प्ष्ट उल्लेख एस0बी0डी0 में नहीं किया गया है।

इस संबंध में समीक्षा कर मान्य दस्तावेजों की सूची तैयार करके सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

- मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को एक ही प्रशासी विभाग के संलग्न भवनों हेतु Practical setback का प्रावधान करने, प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय का मॉडल नक्शा तथा भवनों में अग्निशमन कार्यो का प्रावधान से संबंधित समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

➢ गृह विभाग

- कटिहार जिलान्तर्गत मंडल कारा, कटिहार में 30 क्षमता के 01 अदद पुरूष कक्षपाल बैरक का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार द्वारा बताया गया कि प्लींथ लेवल तक कार्य करने के उपरान्त संवेदक द्वारा कार्य छोड़ दिया गया है।

उक्त कार्य के संबंधित संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार।

➢ कला एवं संस्कृति विभाग

- शिवहर जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 620 क्षमता का अटल कला भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शिवहर द्वारा बताया गया कि उक्त योजना हेतु वैकल्पिक जमीन की आवश्यकता है। मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित भवन जेल के परिसर से सटा हुआ है। जेल परिसर के दोनों तरफ 20 मीटर के अन्दर कोई नया भवन नहीं बनाया जा सकता है, इस कारण चिन्हित जमीन का माप आवश्यकता से कम हो रहा है।

निदेशित किया गया कि चिन्हित जमीन के अनुसार अटल कला भवन की क्षमता कम करके निर्माण करने का प्रस्ताव प्रशासी विभाग को भेजा जाय।

अनुपालन–मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

➢ सामान्य प्रशासन विभाग

- मधुबनी जिलान्तर्गत जिला सर्किट/गेस्ट हॉउस (12 रूम) का नया भवन निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण हेतु संवेदक को मात्र 60 प्रतिशत जमीन अबतक उपलब्ध करायी गयी है। चिन्हित स्थल पर पुरानी कार्यशाला अवस्थित है जिसे तोड़े जाने हेतु नीलामी की जा चुकी है। परन्तु जिला प्रशासन द्वारा कार्यशाला में अधिष्ठापित उपकरणों के स्थानान्तरण से संबंधित निर्णय लिया जाना शेष है।

निदेशित्त किया गया कि उक्त भवन का विडियो/फोटो भेजने का निदेश दिया गया ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी।

बैठक के अंत में माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा विस्तार से योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निदेश दिये गये–

- ➢ सभी कार्यपालक अभियंताओं को योजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति पी0एम0आई0एस0 पर अद्यतन करने का निदेश दिया गया।
- ➢ योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु निरन्तर आवश्यक पत्राचार के साथ ही उसका फॉलोअप करना सुनिश्चित किया जाय।
- ➢ योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय तथा गुणबत्ता पूर्ण तरीके से करना सुनिश्चित किया जाय।
- ➢ प्रशासी विभाग से आवंटन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

➢ योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लायी जाय तथा आवंटन के अभाव की समस्या का निराकरण किया जाय।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49/05/2019–20(पार्ट–VI)__________ दिनांक–________

ह0/–

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49/05/2019–20(पार्ट–VI) 5407(अ) दिनांक– 15/6/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित प्रशासी विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

15.6.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव